

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3267
दिनांक 08 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

पोषण 2.0 ट्रेकर ऐप

3267. **श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी:**
श्री गुरजीत सिंह औजला:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पोषण 2.0 के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ख) क्या मंत्रालय ने पोषण 2.0 लाभार्थियों के लिए पोषण 2.0 ट्रेकर एप्लिकेशन के माध्यम से चेहरे की पहचान प्रणाली/बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) पोषण ट्रेकर ऐप में आधार-आधारित प्रमाणीकरण के दौरान सरकार को कौन-कौन सी बाधाएं, जिनमें स्मार्ट फोन की कमी, 4जी कनेक्टिविटी, ग्रामीण/जनजातीय क्षेत्रों और आंगनवाड़ी केंद्रों में नेटवर्क की समस्या शामिल है, का सामना करना पड़ रहा है;
- (घ) क्या बच्चों की निजता से समझौता नहीं किया गया है क्योंकि उनकी तस्वीरें अपलोड की गई हैं और सरकार के डेटाबेस में हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ.) क्या टेक-होम राशन (टीएचआर) प्राप्त करने के लिए दो-कारक प्रमाणीकरण (आधार से जुड़ा फोटो/ओटीपी) अनिवार्य है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;
- (च) क्या उक्त प्रमाणीकरण के बिना टीएचआर से इनकार करना गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों के अधिकार के संबंध में उच्चतम न्यायालय के फैसले के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन है;
- (छ) क्या फेस पहचान प्रणाली (एफआरएस) पर्याप्त बुनियादी ढांचे के बिना लागू की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और
- (ज) क्या सरकार का इरादा एफआरएम की आवश्यकता के कार्यान्वयन को निलंबित/समीक्षा करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को किसी भी उत्पीड़न से बचाने और खाद्य सुरक्षा

अधिनियम के तहत लाभार्थियों के अधिकारों को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ज): 15वें वित्त आयोग के तहत, कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए आंगनवाड़ी सेवाओं, पोषण अभियान और किशोरियों (आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14-18 वर्ष की आयु) के लिए योजना जैसे विभिन्न घटकों को मिशन सक्षम आंगनवाड़ी तथा पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जहाँ विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की है। यह मिशन एक सार्वभौमिक स्व-चयनित व्यापक योजना है जहाँ किसी भी लाभार्थी के लिए पंजीकरण और सेवाएँ प्राप्त करने में कोई प्रवेश बाधा नहीं है। इस मिशन के अंतर्गत, बच्चों (6 माह से 6 वर्ष तक), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर कुपोषण के पीढ़ी-दर-पीढ़ी चक्र को तोड़ने हेतु पूरक पोषण प्रदान किया जाता है। पूरक पोषण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनुसूची-11 में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जाता है। इन मानदंडों को जनवरी 2023 में संशोधित किया गया है। पुराने मानदंड काफी हद तक कैलोरी-विशिष्ट थे; तथापि, संशोधित मानदंड आहार विविधता के सिद्धांतों के आधार पर पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के संदर्भ में अधिक व्यापक और संतुलित हैं जो गुणवत्ता वाले प्रोटीन, स्वास्थ्यवर्धक वसा और सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करते हैं।

शुरूआत में, फेस रिकॉग्रिशन सिस्टम (एफआरएस) मॉड्यूल को अगस्त 2024 में प्रायोगिक तौर पर लागू किया गया था। इसे दिसंबर 2024 में वैकल्पिक आधार पर पूरे भारत में लागू किया गया था। तब से, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कर्तव्यधारकों को लाभार्थियों को चेहरे की पहचान करने और आधार डेटाबेस के साथ सत्यापित करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। 1 जुलाई 2025 से इसे पात्र अंतिम लाभार्थी तक टेक-होम राशन की प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है। एफआरएस मॉड्यूल को पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन के भाग के रूप में तैयार किया गया है। आधार पहचान के माध्यम से लाभार्थी का सत्यापन करने के लिए, लाभार्थी की लाइव फोटो को कैप्चर करने के साथ-साथ ईकेवाईसी किया जाता है। पोषण ट्रैकर पर यह ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया लाभार्थी के जीवनकाल में एक बार की जाती है। मासिक आधार पर टेक-होम राशन का लाभ उठाने के लिए, फेस मैचिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में की जा सकती है तथा दुबारा

ईकेवाईसी की जरूरत नहीं होती है। कम डिजिटल कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों को देखते हुए ऑफलाइन पद्धति शुरू की गई है। फेसिअल रिकॉग्निशन फीचर लो वर्जन एंड वाले फ़ोनों में भी उपलब्ध करायी गई है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए बाल आधार में कोई बायोमेट्रिक डेटा नहीं होता है; इसलिए, 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए, माता/पिता/अभिभावक का एफआरएस किया जा रहा है, न कि बच्चे का।

5 अगस्त 2025 तक, टेक होम राशन (टीएचआर) के लिए पंजीकृत 4.91 करोड़ पात्र लाभार्थियों में से 3.69 करोड़ टीएचआर लाभार्थियों का फेस कैप्चरिंग और ई-केवाईसी (लगभग 75.12%) पूरा हो चुका है।

एनईजीडी राज्य समन्वयकों द्वारा नियमित प्रशिक्षण और मार्गदर्शन सत्र आयोजित किए गए हैं। इसके अलावा, तकनीकी कठिनाइयों को समझने और उनका समाधान करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय दौरे और राज्य अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें भी की गई हैं।

सिस्टम में विभिन्न डेटा सुरक्षा उपाय मौजूद हैं। उनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है:

- लाभार्थी का एकत्रित किया गया डेटा सभी मौजूदा डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के अधीन होता है, जिसमें सीमित उद्देश्य, सूचित सहमति और सीमित पहुँच शामिल हैं।
- फेस वेरिफिकेशन से संबंधित सभी अनुरोध और प्रतिक्रियाएँ ट्रांज़िट के दौरान एन्क्रिप्ट की जाती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि डेटा को इंटरसेप्शन या छेड़छाड़ से बचाया जा सके।
- डिवाइस पर कोई भी चित्र या डेटा स्थायी रूप से संग्रहीत नहीं होता है। एहतियात के तौर पर, जब आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एप्लिकेशन से लॉग आउट करती हैं, तो सभी कैशड या अस्थायी डेटा स्वचालित रूप से मिट जाता है।
- निजी डेटा सार्वजनिक रूप से सुलभ नहीं होता है; यह केवल सत्यापन उद्देश्यों के लिए अधिकृत कर्मियों के लिए ही उपलब्ध होता है।
- पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन का उपयोग आमतौर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा किया जाता है और यह जनता या किसी अनधिकृत पक्ष के लिए अधिकृत नहीं है। पहुँच भूमिका-आधारित है तथा दुरुपयोग को रोकने के लिए लॉगड और निगरानी की जाती है।
- इसके अलावा, एप्लिकेशन का आंतरिक डेटाबेस एन्क्रिप्टेड होता है, जिससे ऐप के बाहर संवेदनशील जानकारी तक एक्सेस को रोका जा सकता है।
- सुरक्षित प्रक्रिया और प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए फेस इमेजेज को ऐप के भीतर एन्कोडेड प्रारूप में प्रबंधित किया जाता है।
